

रील्स देखकर व्यापारी के बेटे को समझा करोड़पति, किया किडनैप

ब्रह्मास्त्र ► पन्ना

सोशल मीडिया पर महंगे मोबाइल और लज्जरी लाइफ की रील्स देखकर बदमाशों ने पन्ना के एक कपड़ा व्यापारी के 19 वर्षीय बेटे को करोड़पति समझ लिया। उसका अपहरण कर 10 लाख रुपए की फिरीती मांगी। हालांकि पुलिस ने युवक को कुछ ही घंटों में सकुशल छुड़ा लिया। अब तीनों आरोपी गिरफ्तार हो गए हैं। पृष्ठताछ में उन्होंने कहा- हमें लगा था बहुत पैसा मिलेगा, लेकिन धोखा हो गया।

पन्ना में 27 जून को पर्वई के कपड़ा व्यापारी राजेश डेंगरे के 19 वर्षीय बेटे अंशुल उर्फ कान्हा डेंगरे का अपहरण कर लिया गया था। कुछ देर बाद परिवार के पास कॉल आया और 10 लाख रुपए की फिरीती मांगी गई।



परिजनों ने घबराकर पर्वई थाने में सूचना दी। एसपी निवेदिता नायडू के निर्देश पर पुलिस

ने विशेष टीम बनाई और तकनीकी निगरानी के जरिए युवक को सुरक्षित बरामद कर लिया।

ईपीएफ के 64 साल पुराने नियम बदलने का विरोध

कर्मचारी संगठन बोले- 8 करोड़ कामगारों, कर्मचारियों, वर्करों को भारी नुकसान होगा

ब्रह्मास्त्र ► भोपाल

कर्मचारी भविष्य निधि के 64 साल पुराने नियमों में किए गए बदलाव मिल मालिकों और उद्योगपतियों के लिए फायदेमंद हैं। यह कर्मचारी की सेवानिवृत्ति में मिलने वाले फंड में भारी कटौती करने वाला है। इसलिए इसका विरोध देश भर में करने की तैयारी है और इसके लिए कर्मचारी संगठन एकजुट होने लगे हैं। केंद्र सरकार की कर्मचारी भविष्य निधि योजना 2026 के नए नियमों को देश भर के 7.31 करोड़ कर्मचारियों, वर्कर्स के पेट पर लात मारने वाला बताया जा रहा है जिसका सीधा असर 30 करोड़ लोगों पर पड़ेगा। देश में इसके पहले 1952 में बना नियम लागू है।

कर्मचारी संगठनों का कहना है कि कर्मचारी भविष्य निधि



योजना 2026 में यह प्रावधान बताया है कि इससे कर्मचारियों को अपना अंशदान 12 प्रतिशत से कम देना होगा और उसके हाथ में ज्यादा तनखाह आएगी। यह केवल एक पक्षीय है। इससे 8 करोड़ कामगारों कर्मचारियों, वर्करों की भारी नुकसान होगा। संगठनों का कहना है कि यह

बदलाव केंद्र सरकार ने पूंजीपतियों और उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से किया गया है।

नए नियम में यह दिखाया जा रहा है कि इससे कर्मचारियों को फायदा है। ज्यादा सैलरी नकद में आएगी, बल्कि हकीकत यह है कि वर्तमान व्यवस्था में जितना वेतन

होता था, उसका 12 प्रतिशत अंशदान कर्मचारी का कटता था तथा 12 प्रतिशत अंशदान नियोक्ता मिलाता था। साथ ही 1.61 प्रतिशत स्थापना और बीमा के रूप में कटते थे। इससे यह होता था कि यदि किसी कल कारखाने, निगम मंडल, बोर्ड, विश्वविद्यालयों, अर्द्धशासकीय संस्थानों, लिमिटेड कंपनी, भेल, भिलाई में कार्य करने वाले किसी कर्मचारी, अधिकारी के हितों की रक्षा हो रही थी। कर्मचारी नेता परसाई कहते हैं कि पुरानी योजना ईपीएफ योजना 1952 के अंतर्गत अभी एक लाख रुपए सैलरी पाने वाले कर्मचारी का खुद और नियोक्ता का अंशदान मिलाकर प्रति माह 24000 रुपए होता है। इस तरह वार्षिक राशि 2 लाख 88 हजार रुपए खाते में जमा हो रही थी। इस तरह पुरानी योजना में 2 लाख 88 हजार और नई योजना में 43200 जमा होंगे।

इस प्रकार कर्मचारी को 2 लाख 63 हजार रुपए का नुकसान होगा।

नए नियम नियोक्ता को लाभ पहुंचाने वाले

मध्य प्रदेश संविदा कर्मचारी अधिकारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष रमेश राठौर का कहना है कि इस नियम से सबसे बड़ा फायदा नियोक्ता (मालिक) को होने जा रहा है। अब वह 15 हजार रुपये के वेतन पर ही 1800 रुपये प्रतिमाह का अंशदान करेगा। अभी उसको 12 हजार रुपए प्रतिमाह करना पड़ता था। उसको सीधे 10200 रुपए की प्रतिमाह की बचत होगी और कर्मचारी को नियोक्ता की और से मिलने वाला अंशदान घट जाएगा। इसके बाद कर्मचारी को सेवानिवृत्ति के समय मिलने वाला फंड बहुत कम मिलेगा।

मध्यप्रदेश में 2005 से 2009 के बीच भर्ती शिक्षकों के लिए फिर सुप्रीम कोर्ट जाएगा स्कूल शिक्षा विभाग

70 हजार टीचर्स को टीईटी से बचाने की कोशिश

ब्रह्मास्त्र ► भोपाल

एमपी के करीब 70 हजार टीचरों को शिक्षक पात्रता परीक्षा से राहत दिलाने स्कूल शिक्षा विभाग सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाएगा। विभाग का तर्क है कि साल 2005 से 2009 के बीच भर्ती हुए शिक्षकों ने पहले ही सरकारी चयन परीक्षा पास कर नौकरी हासिल की थी, इसलिए उन्हें दोबारा पात्रता परीक्षा देने के लिए बाध्य नहीं किया जाना चाहिए। यदि सुप्रीम कोर्ट यह दलील स्वीकार करता है, तो हजारों शिक्षकों को राहत मिल सकती है।

दरअसल, सुप्रीम कोर्ट के सितंबर 2025 के आदेश के बाद लोक शिक्षण संचालनालय ने अप्रैल में निर्देश जारी कर प्रदेश के स्कूल शिक्षा और जनजातीय कार्य विभाग के उन सभी शिक्षकों के लिए जुलाई-अगस्त में शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी)



आयोजित कराने को कहा है, जिनकी नियुक्ति साल 1998 से 2009 के बीच, यानी शिक्षा का अधिकार (आरटीई) कानून लागू होने से पहले हुई थी। इस आदेश से प्रदेश के करीब ढेढ़ लाख शिक्षक प्रभावित होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि जिन शिक्षकों की सेवा अवधि पांच साल से कम है, उन्हें परीक्षा से छूट मिलेगी। वहीं, पांच साल से अधिक सेवा पूरी कर चुके शिक्षकों

के लिए टीईटी पास करना जरूरी होगा। परीक्षा पास नहीं करने वाले टीचरों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति का सामना करना पड़ेगा। कोर्ट ने ब्पष्ट पास करने की समयसीमा पहले 31 अगस्त 2027 तय की थी। जिसे बढ़ाकर 31 अगस्त 2028 कर दी गई है।

स्कूल शिक्षा विभाग साल 2005 से 2009 के बीच भर्ती हुए करीब 70 हजार शिक्षकों को पात्रता परीक्षा से

राहत दिलाने के लिए नया कानूनी प्रयास कर रहा है। इन शिक्षकों की नियुक्ति सरकार द्वारा आयोजित भर्ती परीक्षा के आधार पर हुई थी। हालांकि, यह परीक्षा शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) नहीं थी और न ही इसे नेशनल कार्टेसिल फॉर टीचर एजुकेशन (एनसीटीई) के निर्धारित मानकों के अनुरूप आयोजित किया गया था।

सूत्रों के मुताबिक, विधि विभाग और सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ताओं से राय लेने के बाद राज्य सरकार एक सप्ताह के भीतर सुप्रीम कोर्ट में नई याचिका दायर कर सकती है। याचिका में अदाालत से अनुरोध किया जाएगा कि साल 2005 से 2009 के बीच भर्ती शिक्षकों ने पहले ही सरकारी चयन परीक्षा पास कर नियुक्ति प्राप्त की है, इसलिए उन्हें दोबारा पात्रता परीक्षा देने से छूट दी जाए। विभागीय अधिकारियों का मानना है कि इस याचिका में राहत मिलने की संभावना सीमित है, लेकिन शिक्षकों के हित को देखते हुए यह कानूनी पहल की जा रही है।

गुना में 15 साल की नाबालिग की कराई डिलीवरी

ब्रह्मास्त्र ► गुना

गुना जिला अस्पताल गुना में में शनिवार को इलाज के लिए आई एक 15 वर्षीय नाबालिग की उलझी गुत्थी को पुलिस ने अपनी सुझबुझ से सुलझा लिया। दरअसल, राघोगढ़ और ब्यावार (राजगढ़) के पीपलखेड़ी नाम के दो गांवों के कारण अधिकार क्षेत्र को लेकर जरूर गफलत पैदा हुई। पुलिस ने लड़की के फिर से बयान दर्ज किए। बाद में साफ हुआ कि वह चांचौड़ा इलाके की है।

जानकारी के अनुसार, शनिवार को एक 15 वर्षीय नाबालिग की अचानक तबीयत बिगड़ने पर उसके परिजन उसे उपचार के लिए जिला अस्पताल गुना लेकर पहुंचे थे। परिजन केवल बीमारी के इलाज की बात सोचकर आए थे, लेकिन यहां डॉक्टरों द्वारा जांच किए जाने पर पता चला कि नाबालिग गर्भवती है।

अस्पताल में डॉक्टरों द्वारा तत्काल उसकी प्रसूति कराई गई, जहां उसने एक मृत नवजात को जन्म दिया। फिलहाल पीड़िता जिला अस्पताल के प्रसूति गृह में भर्ती है और उसका इलाज जारी है। अस्पताल चौकी से जैसे ही इस संवेदनशील मामले की सूचना पुलिस को मिली, वैसे ही राघोगढ़ पुलिस ने अस्पताल में पीड़ित के बयान दर्ज करने पहुंचे। शुरूआती जांच में पीड़िता का गांव पीपलखेड़ी सामने आने से असमंजस की स्थिति बन गई, क्योंकि एक पीपलखेड़ी गुना जिले के राघोगढ़ थाना क्षेत्र में भी आता है। हालांकि, जब बारीकी से पृष्ठताछ की गई तो साफ हुआ कि घटना पड़ोसी जिले राजगढ़ के ब्यावारा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले पीपलखेड़ी गांव की है। पीड़िता ने अपने बयानों में बताया कि उसके साथ गलत काम करने वाला मुख्य आरोपी ब्यावार बस स्टैंड के पास का रहने वाला है। घटना स्थल पड़ोसी जिले का होने के बावजूद, मामले की गंभीरता और पीड़िता की सुरक्षा को देखते हुए राघोगढ़ थाना पुलिस ने उसके बयान दर्ज किए। बाद में यह बात सामने आई कि नाबालिग चांचौड़ा क्षेत्र के रहने वाली है। हालांकि, नाबालिग के परिजन लगातार गुमराह कर रहे हैं। वो यह साफ नहीं बता रहे कि वो किस इलाके के रहने वाले हैं।

खबर एक नजर...

मामा के साथ मगेतर का फोटो देखकर भड़के लड़के वाले, हथियार लेकर पहुंचे

मनासा। मनासा में 10-12 वर्ष पहले तय हुई बाल सगाई की लेकर दुर्गापुरा गांव के लोग हथियारों के साथ युवती के गांव मांगरोल पहुंच गए। हालांकि दोनों पक्षों के वरिष्ठजनों और समाज के पंचों की समझाइश से मामला शांत हो गया। घटना के दौरान कई युवाओं ने सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट किए, जिनमें वे पिस्टल लहराते तथा लाठी-हांकी लेकर जाते दिखाई दे रहे हैं। जानकारी के अनुसार मनासा के दुर्गापुरा निवासी बाबूलाल बंजारा के बेटे दयानंद की सगाई 10-12 साल पहले मांगरोल की एक लड़की से हुई थी। कुछ दिन पहले युवती का उसके अंकल के साथ र्विचवाया एक फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया।

इसे लेकर लड़के पक्ष में गलतफहमी पैदा हो गई और समाज की बार प्रणाली के तहत गांव के लोग विरोध दर्ज कराने और लाखों रुपए के जुमाने की मांग के साथ मांगरोल पहुंच गए। लड़की के पिता ने बताया कि 4 माह पहले गणगीर पर्व पर परिवार के लोगों ने सामान्य रूप से फोटो खींचे थे। वही फोटो लड़के पक्ष तक पहुंच गया और उन्होंने गलतफहमी में हथियार लेकर गांव की ओर रुख कर लिया। मनासा थाना प्रभारी निलेश अवस्थी ने बताया कि वायरल वीडियो के आधार पर 10 लोगों को थाने बुलाया। दो पिस्टल जब्त कीं, जो जांच में एयरगन निकलीं। 8 से 10 लोगों के खिलाफ बांडओवर की कार्रवाई की जा रही है।

छिंदवाड़ा में देशभक्ति गीतों के बीच साइबर जागरूकता का संदेश

छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा में पुलिस विभाग ने शनिवार को ह्मएक शाम साहस और समर्पण के नामह कार्यक्रम का आयोजन किया। देर रात तक चले इस कार्यक्रम में इंडियन आइडल फेम गायक अनिल श्रीवास्तव ने अपने गीतों से समा बांध दिया। किशोर कुमार के लोकप्रिय गीतों के साथ देशभक्ति गीतों की प्रस्तुति पर मौजूद लोग झूम उठे। कार्यक्रम में ऑपरेशन सिंदूर का विशेष प्रदर्शन भी किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में जबलपुर रेंज के वरू प्रमोद वर्मा शामिल हुए। इस दौरान समाज के लिए उत्कृष्ट कार्य करने वाली सामाजिक संस्थाओं की सम्मानित किया गया। वहीं राहवीर योजना के तहत सड़क हादसों में घायलों को समय पर अस्पताल पहुंचाने वाले लोगों का भी सम्मान किया गया। कार्यक्रम में छिंदवाड़ा कलेक्टर हरेंद्र नारायण, उरुव्व राकेश सिंह, रड अजय पांडेय, अरुह आशीष खरे, उरुव्व साहिल गर्ग, स्वरूप दीक्षित, जेल अधीक्षक प्रतीक जैन सहित जिले के सभी थाना प्रभारी और बड़ी संख्या में सामाजिक गणमान्य नागरिक मौजूद रहे।

1000 किलोमीटर दूर से बेटी की अस्थियां लेकर आई मां

जबलपुर। गुजरात के वलसाड में ट्रेन से कटकर हुई बेटी की संदिग्ध मौत के बाद उसकी बुजुर्ग मां शनिवार को करीब एक हजार किलोमीटर का सफर तय कर अस्थियां लेकर जबलपुर पहुंचीं। मां ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय में शिकायत देकर आरोप लगाया कि उसकी बेटी की मौत हादसा नहीं, बल्कि हत्या है। उसने दामाद पर बेटी को ट्रेन के सामने धक्का देने, अस्थियां छीनने की कोशिश करने और दोनों बच्चों को जान से मारने की धमकी देने के आरोप लगाए। जबलपुर पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए गुजरात पुलिस से संपर्क कर जांच में सहयोग का भरोसा दिया है। जबलपुर जिले के ग्राम पौड़ा निवासी फिंकी नामदेव की मुलाकात कटनी जिले के बहोरीबंद निवासी महेंद्र नामदेव से हुई थी। दोनों एक ही समाज से थे और परिवार की सहमति से वर्ष 2014 में उनका विवाह हुआ। शादी के बाद दोनों सिलाई का काम करते थे। वर्ष 2018 में बेहतर रोजगार की तलाश में दोनों गुजरात के वलसाड चले गए, जहां एक कंपनी में नौकरी करने लगे। कुछ समय तक सब कुछ सामान्य रहा, लेकिन बाद में महेंद्र शराब का आदी हो गया। शराब की लत बढ़ने के साथ वह पत्नी और बच्चों के साथ मारपीट करने लगा। परिवार में बेटा कान्हा (10 वर्ष) और बेटी अर्विन (8 वर्ष) हैं।

भोपाल की कोचिंग क्लासेस में फायर सेप्टी नहीं

भोपाल। लखनऊ में कोचिंग इंस्टीट्यूट में हुए अग्निकांड के बाद भोपाल में 8 कोचिंग इंस्टीट्यूट सील कर दिए गए हैं। कोचिंग संचालकों का कहना है कि यदि उनके भवन में आग से बचाव के लिए किसी बदलाव की जरूरत है तो वे करने के लिए तैयार हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें समय चाहिए। बिल्डिंग परमिशन व भूमि विकास नियमों के अनुसार उसे कैसे किया जा सकता है, इस पर भी उन्हें संबंधित अफसर मार्गदर्शन करें। कोचिंग संचालकों के सवालों पर जब नगर निगम के डिप्टी कमिश्नर भुवन गुप्ता से बात की तो उन्होंने स्पष्ट किया कि कार्रवाई का उद्देश्य कोचिंग संस्थानों को लंबे समय तक बंद रखना नहीं, बल्कि उन्हें जरूरी अग्नि सुरक्षा मानकों के अनुरूप संचालित कराना है। उन्होंने कोचिंग संचालकों को फायर प्लान प्रस्तुत करने, तकनीकी मार्गदर्शन लेने और जरूरत पड़ने पर बैठक के जरिए समाधान निकालने का प्रस्ताव दिया। उन्होंने कहा कि कोचिंग संचालक फायर प्लान दें और समय बनें तो हम सील किए संस्थानों के ताले खोल देंगे। गुप्ता ने कहा कि निरीक्षण में कई संस्थानों में फायर एक्सटिंग्विशर की वैधता समाप्त हो चुकी थी और सात दिन बाद भी उन्हें रिफिल तक नहीं कराया गया। कई संचालकों के पास स्पष्ट फायर प्लान भी नहीं था। निगम का कहना है कि कोचिंग संचालकों से यह भरोसा चाहिए कि वे सुधार की दिशा में गंभीरता से काम कर रहे हैं।

